हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/3/2025 को पेश हो।	
20/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 8/5/25 को पेश हो।	
8/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26/06/2025 को पेश हो।	
26/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/06/2025 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि ख॰स॰ 1982/784 वाके ग्राम शनीपुरा में प्रार्थी का 3/20 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण भी उक्त भूमि के सहखातेदार है। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं होने अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी करते रहते है, उनको भूमि का बंटवारा होने तक पाबन्द किया जावें। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की हमारे बीच भूमियों का बंटवारा हो रखा है व बीच में मेड़/पगडंडी बनी हुई है व सीमा पर पेड़ पौधे लगे हुई है। ये हमारे पेड़ पौधों को हड़प करना चाहते है। सहखातेदार के विरुद्ध ~~___~~ T.I. जारी नहीं की जा सकती है। प्रा॰पत्र खारीज किया जावें।	

उपखण्ड अधिकारी
डिग्गी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की मैं जारी
	प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-	
1.	प्रथम दृष्ट्या मामला :- विवादित भूमि खाता सं० 202 ख०न० 1982/784 ग्राम रानीपुरा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज होने से सह खातेदारी की भूमि मे अन्य सहखातेदार के विरुद्ध T.I. का अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही बन रहा है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज होने से व प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष मे नही होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे नही बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमि मे प्रार्थी सहखातेदार होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण का भूमि मे बराबर-बराबर हिस्सा निहित होने से अप्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही बन रही है।	
	उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नही होने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे नही बनने व अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही होने से प्रा०पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी सिण्ढोली	